



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 9, गुरुवार, शाके 1932—अप्रैल 29, 2010  
Vaisakha 9, Thursday, Saka 1932—April 29, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप—2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 29, 2010

संख्या प. 2 (14) विधि/2/2010:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010  
(2010 का अधिनियम संख्यांक 9)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्राप्त हुई]

राज्य में पर्यटन व्यवसाय और उद्योग के विकास को त्वरित गति प्रदान करने और राज्य में आने वाले पर्यटकों को पर्यटन के विभिन्न गन्तव्यों पर सुविधाएं प्रदान करने और उनकी यात्रा को असुविधा—मुक्त बनाने के लिए कतिपय उपाय करने और साथ ही उनके सम्पर्क में आने वाले या उनके संबंध में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने और विरासत स्थलों पर पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, राज्य की पर्यटन संभाव्यता को त्वरित गति प्रदान करने की दृष्टि से पर्यटन सेक्टर और इसमें के व्यवसाय को विनिर्दिष्ट रूप से उद्योग के रूप में घोषित करने और पर्यटकों के आवाजाही के स्थानों और क्षेत्रों के रख-रखाव के लिए बेहतर उपबंध करने की दृष्टि से इसे स्थानीय प्राधिकारियों का वैधानिक कर्तव्य बनाना और उनके अनुपालन को आज्ञापक बनाना साथ ही पर्यटकों के सामने आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए और उनके आगमन को सुविधाजनक, आसान और स्व-आश्वासनप्रद बनाने के लिए दलालों (जो सामान्य बोलचाल में लपकों

के रूप में जाने जाते हैं) भिखारियों, फेरीवालों, टैक्सी कार चालकों (जिनमें आटो रिक्शा और रिक्शा सम्मिलित हैं), जैसे व्यक्तियों या किन्हीं भी ऐसे अन्य तत्वों जो असम्यक् धन-संबंधी अभिलाभ की याचना करने या प्राप्त करने के लिए पर्यटकों को उत्पीड़ित या क्षुब्ध करते हैं, के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्यटक सहायता बल की स्थापना के रूप में कतिपय उपाय करना समीचीन है;

यतः, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के मानकों को अधिकथित करने के लिए उपबंध करने और ऐसे सेवा प्रदाताओं, जो अपेक्षित मानकों के पाये जायें, की मान्यता के लिए उपबंध करने के लिए और उनके द्वारा व्यवसाय के वांछित मानकों और स्तरों की अनुषक्ति, साथ ही इसके अधीन उनकी बाध्यता का उपबंध करने और उनकी अनुषक्ति न किये जाने के परिणामों के लिए उपबंध किया जाना समीचीन है;

यतः, पर्यटन व्यवसाय और उद्योग की वृद्धि को सुकर बनाने के लिए उसमें लोक-निजी सहभागिता द्वारा विनिधान के लिए मार्ग सुझाने के लिए उपबंध करने और मानीटर करने, भविष्य की योजना बनाने और पर्यटन व्यवसाय और उद्योग के विकास के प्रयोजन के लिए सेवा प्रदाताओं से सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण के लिए उपबंध किया जाना भी समीचीन है।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राज्य में होगा, सिवाय धारा 13,14 और 20 के, जिनका प्रसार केवल ऐसे स्थानों और क्षेत्रों पर होगा जो पर्यटक क्षेत्र या पर्यटक गन्तव्य या विरासत स्थल हों।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में—

(क) “अपील प्राधिकारी” से धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त और इस रूप में राजपत्र में अधिसूचित अपील प्राधिकारी अभिप्रेत है;

- (ख) "मान्यता और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र" से धारा 4 की उप-धारा (4) के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (ग) "आयुक्त" से आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है और इसमें निदेशक, जब कभी भी कोई अधिकारी ऐसे पदाभिधान से उपर्युक्त पद पर पदस्थापित किया जाये, सम्मिलित है;
- (घ) "गाइड" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्यटक स्थलों, स्मारकों इत्यादि के आसपास पर्यटकों को मार्ग दिखाने के लिए धारा 8 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के अधीन प्राधिकृत है;
- (ङ) "विक्रय के लिए वस्तुओं की फेरी लगाना" से पर्यटक क्षेत्र में फेरी वाले के रूप में पर्यटकों को विक्रय करने के लिए वस्तुएं वहन करना और पर्यटकों को, तब भी वस्तुएं प्रस्तुत करना जब अनुरोध न किया जाए और ऐसा प्रस्ताव स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया जाए, और फिर भी फेरीवाले का, किसी पर्यटक का अवांछित रूप से पीछा करके वस्तुओं का विक्रय करने के लिए जोर देना और प्रस्तुत की गयी वस्तुएं क्रय करने के लिए पर्यटक को तंग करना अभिप्रेत है;
- (च) "विरासत" से पूर्वजों से विरासत में प्राप्त कोई भी वस्तु चाहे वह मानव को प्रकृति के उपहार के रूप में हो, जैसेकि वायु, जल, भूमि (जिसमें वनस्पति और जीव-जन्तु, उपवन, पर्वत, पहाड़ियां, छोटी पहाड़ियां, चट्टानें, गुफाएं, स्थल, पैदल पथ, सवारियां, जल-प्रपात, झीलें, नदियां, तंग घाटियां इत्यादि सम्मिलित हैं) या मानव निर्मित वस्तुएं हों जैसेकि किले, महल, अन्य भवन और संरचनाएं, शिल्प-कृति जिसमें ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौन्दर्य संबंधी और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और प्रसीमाओं को सम्मिलित करते हुए, नगर के आच्छादन की रीति और ग्रामीण योजना और जीवन शैली जिसमें साधारणतया पूर्ववर्ती पीढ़ियों से प्राप्त आस्था, विश्वास, लोकाचार, कला, साहित्य, मूर्तिशिल्प, प्रथाएं, परम्पराएं, मेले, त्यौहार, भोजन संबंधी आदतें और पहनावे और व्यवहार की सामान्य शैली सम्मिलित है, अभिप्रेत है;
- (छ) "विरासत होटल" से किसी किले, गढ़ी, महल, हवेली, दुर्ग, शिकारगाह या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व संनिर्मित, विरासत के लक्षणों से युक्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

- (ज) "होटल" से कोई परिसर या परिसर का भाग अभिप्रेत है जहां धन के प्रतिफलस्वरूप व्यापार या कारबार के रूप में ठहरने की व्यवस्था भोजन सहित या उसके बिना, या अन्य सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है;
- (झ) "होटल वाला" से कोई व्यक्ति जो स्वत्वधारी के रूप में होटल का संचालन करता है, अभिप्रेत है और इसमें स्वत्वधारी की ओर से होटल के कार्यकलापों का प्रबंध करने वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित है;
- (ञ) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर निगम, नगरपालिका, नगरपालिक बोर्ड, पंचायती राज संस्था, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण या विधि द्वारा स्थापित इसी प्रकार का कोई प्राधिकारी और नगर विकास न्यास उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अभिप्रेत है और इसमें राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित कोई भी अन्य प्राधिकारी सम्मिलित होगा;
- (ट) "अनाचार" में सम्मिलित है,—
- (i) दलाली करना (जिसमें किसी पर्यटक या पर्यटकों के समूह को खरीददारी, आवास, परिवहन या दृश्यावलोकन की सुविधा प्राप्त करने के लिए तंग करना या पर्यटक को किसी विशिष्ट परिसर या स्थापन, व्यवहारी या पर्यटन व्यवसाय से संबद्ध किसी भी अन्य सेवा प्रदाता या किसी अन्य स्थापन जहां पर्यटक ठहरना या कुछ क्रय करना चाहे, को देखने के लिए ले जाने के लिए कष्ट देने की सीमा तक उकसाना सम्मिलित है);
- स्पष्टीकरण.**—किसी पर्यटक द्वारा पहले से ही नियोजित ऐसा कोई मान्यताप्राप्त, रजिस्ट्रीकृत या सद्भाविक सेवा प्रदाता या जिसकी सेवाएं उस पर्यटक द्वारा स्वैच्छिक रूप से किराये पर ली गयी थीं या सहायता ली गयी थी, जब ऐसे किसी स्थान पर जहां पर्यटक जाता है, किसी पर्यटक की अगवानी करता है या सम्पर्क करता है तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अगवानी या सम्पर्क करते समय इस खण्ड के अर्थान्तर्गत दलाल नहीं समझा जायेगा;
- (ii) दर्शित और/या घोषित से अधिक कीमत प्रभारित करना;
- (iii) नियत से अधिक पारिश्रमिक प्रभारित करना;

- (iv) कीमत दर्शित करने में विफलता;
  - (v) टैरिफ दर्शित करने में विफलता;
  - (vi) नकद रसीद/जमा रसीद देने में विफलता;
  - (vii) बाध्यता के पालन के लिए कालावधि की समाप्ति के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर सहमत निबंधनों के अनुसार किसी आदेश के निष्पादन में विफलता;
  - (viii) नियत और दर्शित टैरिफ से अधिक प्रभारित करना;
  - (ix) पर्यटक के साथ दलाली करने, प्रपीड़न करने या बाध्य करने के लिए कोई धनीय परितोषण या कमीशन प्राप्त करना और संदत्त करना;
  - (x) महल, किला, हवेली जैसे भ्रामक नामों और लोगो का उपयोग करना, जबकि ऐसे स्थानों के अपेक्षित लक्षण न हों या किसी होटल की स्टार रेटिंग को गलत रीति से दर्शाना या नामों या संक्षेपाक्षरों और लोगो को ऐसे नामों या लोगो के समरूप दर्शाना जो बहुत समय से इस रूप में अस्तित्व में हैं और प्रतिष्ठित हैं, पर्यटकों और आमजन को आकृष्ट करने के आशय से सद्भाविक सेवा प्रदाताओं या लोक निकायों के स्थापित और प्रतिष्ठित नामों की रंगीन प्रतिकृति करना; और
  - (xi) पर्यटक की इच्छा के बिना, पीछा करने के आशय से किसी पर्यटक स्थल और होटल के बाहर अवांछित व्यक्ति द्वारा प्रतीक्षा करना;
- स्पष्टीकरण.**—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—
- (I) सम्यक् सर्तकता और सावधानी के बावजूद किसी प्रणाली या उपस्कर की तकनीकी या प्राकृतिक विफलता के कारण सेवा में देरी या त्रुटि अनाचार नहीं होगी;
  - (II) दैवी कारण या राज्य कृत्य के कारण किसी सेवा प्रदाता की अपने वचन को पूरा करने में अक्षमता अनाचार नहीं मानी जायेगी;
- (द) “मोटेल” से, मार्ग के समीप का वह स्थान अभिप्रेत है जो सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले पर्यटकों को नियमित

भोजन, फास्ट फूड, रात्रि आवास, पार्किंग स्थान इत्यादि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है;

- (ड) "पेइंग गेस्ट" से ऐसा पर्यटक अभिप्रेत है जो पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पेइंग गेस्ट आवास में ठहरता है;
- (ढ) "पेइंग गेस्ट आवास" से आवास का ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां पर्यटक भोजन और आवास के लिए संदाय पर ठहरता है और ऐसा आवास इस रूप में पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है;
- (ण) "विहित प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त और इस रूप में राजपत्र में अधिसूचित विहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (त) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (थ) "सेवा प्रदाता" में होटल, विरासत होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, ढाबे, पेइंग गेस्ट हाउस, दस्तकारी की दुकानें या एम्पोरियम, यात्रा एजेन्ट, टूर आपरेटर, भ्रमण एजेंट, यात्रा परिवहन एजेंसियां, टैक्सी केब्स, गाइड और इसी प्रकार के सेवा प्रदाता सम्मिलित होंगे जो पर्यटकों को सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं चाहे वे विहित प्राधिकारी द्वारा इस रूप में रजिस्ट्रीकृत हों या न हों;
- (द) "पर्यटन इकाई" से ऐसे सेवा प्रदाता अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में मान्यताप्राप्त हों या पर्यटन इकाई के रूप में घोषित हों;
- (ध) "पर्यटक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो आमोद-प्रमोद के लिए पर्यटन करता है और जिससे,—
- (i) किसी विदेशी के मामले में, विदेशी पासपोर्ट पर राज्य में आने वाला, राज्य में कम से कम चौबीस घण्टे रुकने वाला जिसकी यात्रा का प्रयोजन अवकाश (मनोरंजन, छुट्टी, स्वास्थ्य, अध्ययन, धर्म, और क्रीड़ा) कारबार, कुटुम्ब, मिशन या बैठक हो, अभिप्रेत होगा; और
- (ii) घरेलू यात्री के मामले में, वह व्यक्ति अभिप्रेत होगा जो राज्य में राज्य के बाहर से या राज्य के भीतर ही

अपने साधारण निवास के स्थान से भिन्न स्थान पर यात्रा करता है और होटलों या अन्य आवास स्थापनों (जैसे कि ट्यूरिस्ट बंगलों, यात्री लाजों, युवा छात्रावासों इत्यादि) या धर्मशालाओं, सरायों, मुसाफिरखानों या ऐसे ही अन्य स्थानों में आमोद-प्रमोद (छुट्टी, अवकाश, क्रीड़ा इत्यादि) तीर्थयात्रा, धार्मिक और सामाजिक समारोहों/सम्मेलनों, कारबारी सभाओं/बैठकों, अध्ययन और स्वास्थ्य के लिए कम से कम चौबीस घंटे या एक रात की कालावधि के लिए ठहरता है;

**स्पष्टीकरण.**—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) उपजीविका या क्रियाकलाप, जिनके लिए राज्य के भीतर पारिश्रमिक दिया जाता है, करने के लिए आने वाले व्यक्ति;
- (ख) राज्य में निवास स्थापित करने के लिए आने वाले व्यक्ति;
- (ग) उसी दिन के लिए आने वाले आगन्तुक, अर्थात् अस्थायी रूप से आने वाले जैसे कि भ्रमण पर के यात्री जो राज्य में चौबीस घंटे से कम के लिए ठहरते हैं;
- (घ) स्वयं के गृह-नगर या मूल निवास पर संबंधियों और मित्रों से मिलने, कार्यालय संबंधी कार्य के लिए, सामाजिक और धार्मिक समारोहों इत्यादि के लिए छुट्टी पर या लघु यात्रा पर आने वाले व्यक्ति जो स्वयं के निवास पर या रिश्तेदारों और मित्रों के यहां ठहरते हैं और किसी दृश्यावलोकन सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं; या
- (ङ) राज्य में निवास करने वाले विदेशी जो राज्य में नौकरी या उपजीविका कर रहे हैं—

पर्यटक नहीं समझे जायेंगे;

- (न) “पर्यटक क्षेत्र” से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्रायः पर्यटक आते हैं;
- (प) “पर्यटक सहायता बल” से धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट पर्यटक सहायता बल अभिप्रेत है;

- (फ) "पर्यटक सहायता बल कार्मिक" से धारा 17 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट पर्यटक सहायता बल के सभी रैंकों के सदस्य सम्मिलित हैं;
- (ब) "पर्यटक गंतव्य" से ऐसा स्थान, परिक्षेत्र या नगर या ऐसा बृहत् भौगोलिक क्षेत्र जिसके अन्तर्गत कई पर्यटक क्षेत्र आते हैं, जिसमें सामान्यतया पर्यटक आते हैं, अभिप्रेत है; और
- (भ) "यात्रा एजेंट", "भ्रमण एजेंट" या "टूर आपरेटर" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है ऐसा कोई व्यक्ति या एजेंसी जो धन के रूप में प्रतिफल के बदले पर्यटकों के लिए यात्रा-व्यवस्थाएं करने के कारबार में लगी हुई हों।

## अध्याय 2

### सेवा प्रदाताओं की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण तथा पर्यटन व्यवसाय से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का विनियमन

3. सेवा प्रदाताओं की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदण्ड, मानक और सामान्य सिद्धांत अधिकथित करने के लिए विशेषज्ञ समिति.—(1) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि पर्यटकों को सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं स्वीकार्य मानकों की हैं, राज्य सरकार, विभिन्न प्रवर्गों के सेवा प्रदाताओं के लिए मानक उपवर्णित करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार, सेवा प्रदाताओं की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक और मानदण्ड घोषित करेगी और सामान्य सूचना के लिए मान्यता और रजिस्ट्रीकरण की एक स्कीम विरचित और प्रकाशित करके, ऐसी मान्यता और रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले सामान्य सिद्धांत घोषित करेगी। स्कीम में मानदण्ड और मानक भी वर्गीकृत होंगे जिनका उल्लंघन धारा 4 के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम, गंभीर या गंभीरतम समझा जायेगा।

4. सेवा प्रदाताओं की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण, मान्यता के मानक और शर्तों की अननुषक्ति की उनकी बाध्यताएं और परिणाम.—(1) राज्य में सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने वाला या कार्य करने का आशय रखने वाला कोई सेवा प्रदाता, यदि और जब, उसको/स्वयं को



राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त कराना चाहता है तो विहित प्राधिकारी को, ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में, जो धारा 3 के अधीन विरचित स्कीम में उपबंधित किया जाये, आवेदन कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आवेदन को उसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर विहित प्राधिकारी द्वारा निपटाया जायेगा।

(3) विहित प्राधिकारी, जब तक कि आवेदन खारिज न कर दिया गया हो और मान्यता और रजिस्ट्रीकरण अननुज्ञात या नामंजूर न कर दिया गया हो, संबंधित सेवा प्रदाताओं की विशिष्टियां ऐसे सेवा प्रदाताओं के विहित रजिस्टर में अभिलिखित करेगा जो इस रूप में मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत हैं। रजिस्टर में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और उसे ऐसे प्ररूप में संधारित किया जायेगा, जो विहित किया जाये।

(4) जब भी उप-धारा (3) के अधीन किसी सेवा प्रदाता का आवेदन अनुज्ञात और रजिस्ट्रीकृत किया जाये तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाये, मान्यता और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) जहां उप-धारा (3) के अधीन कोई भी आवेदन खारिज किया जाये, वहां विहित प्राधिकारी उसके कारण अभिलिखित करेगा और उसे आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा:

परन्तु मान्यता और रजिस्ट्रीकरण का कोई भी आवेदन तब तक खारिज या नामंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुना न जाये और उस मामले में उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जाये।

(6) ऐसा प्रत्येक सेवा प्रदाता, जो इस धारा के अधीन मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत है, धारा 3 के अधीन विरचित और प्रकाशित स्कीम में अपेक्षित मानक बनाये रखने और विनिर्दिष्ट व्यवसाय के मानदण्डों के पालन के बाध्यताधीन होगा।

(7) जब कोई सेवा प्रदाता उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के अपेक्षित मानकों को बनाये रखने में या व्यवसाय अथवा प्रस्थापित की गयी सेवाओं के मानदण्डों के अनुपालन में विफल रहता है और धारा 3 के अधीन बनायी गयी और प्रकाशित स्कीम में मान्यताप्राप्त सेवा प्रदाता के रूप में

उसके लिए वर्णित उत्तरदायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम करता है, तब ऐसा सेवा प्रदाता, प्रत्येक प्रवर्ग के सेवा प्रदाताओं के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट राशि से अनधिक की शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी होने के अतिरिक्त, अमान्यताप्राप्त कर दिया जायेगा और रजिस्टर में से उसका नाम काट दिया जायेगा और उसका मान्यता और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जायेगा:

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने और/या अमान्यताप्राप्त करने, रजिस्टर में से नाम काटने के पश्चात् किसी सेवा प्रदाता का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी, उसको यह हेतुक दर्शित करने के लिए बुलाने हेतु नोटिस की तामील करेगा कि क्यों नहीं उसके विरुद्ध तात्पर्यित कार्यवाही की जाये और उस मामले में उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(8) जहां मानदण्डों और मानकों की अननुषक्ति न्यूनतम पायी जाये, वहां विहित प्राधिकारी, सेवा प्रदाता के विरुद्ध उप-धारा (7) के अधीन कार्यवाही करने के बजाय, सेवा प्रदाता की परिनिंदा करेगा और उसको भविष्य में सावधान रहने को कहेगा और जहां मानदण्डों का भंग गंभीर हो, वहां विहित प्राधिकारी उप-धारा (7) के अधीन कार्यवाही करने के बजाय, व्यतिक्रमी सेवा प्रदाता पर, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राशि से अनधिक शास्ति अधिरोपित करेगा:

परन्तु उप-धारा (7) के अधीन कार्यवाही व्यतिक्रम के केवल ऐसे मामलों में ही की जायेगी जहां मानदण्डों और मानकों का अतिक्रमण गंभीरतम है और जहां सेवा प्रदाता की परिनिंदा और/या दण्डित किये जाने के पश्चात् भी स्थिति में सुधार नहीं होता है।

(9) रजिस्टर, जिसमें सेवा प्रदाताओं के नाम और विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी सतत रूप से संधारित और अद्यतन किया जायेगा और पर्यटकों और सामान्य जनता की सूचना के लिए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, और उसे समाचार पत्रों, अन्य नियतकालिक पत्रिकाओं में ऐसे अन्तराल में प्रकाशित भी किया जा सकेगा जो आयुक्त, पर्यटन विभाग उचित समझे।

**5. अपील.**—(1) विहित प्राधिकारी द्वारा धारा 4 की उप-धारा (7) या (8) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील, अपील प्राधिकारी को की जायेगी।

(2) अपील प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और राजपत्र में इस रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

**6. मान्यता और रजिस्ट्रीकरण से बहिर्गमन.**—धारा 4 के अधीन मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत किसी भी सेवा प्रदाता को, उस तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व, जिससे बहिर्गमन चाहा गया है, विहित प्राधिकारी को इस आशय के बारे में लिखित में अवगत कराते हुए, मान्यता और रजिस्ट्रीकृत स्थिति से बहिर्गमन की स्वतंत्रता होगी और तत्पश्चात् विहित प्राधिकारी उस सेवा प्रदाता को अरजिस्ट्रीकृत करेगा और उसका नाम मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं के रजिस्टर में से काट दिया जायेगा।

**7. पेइंग गेस्ट आवास का रजिस्ट्रीकरण.**—(1) कोई भी व्यक्ति अपने मकान को पेइंग गेस्ट आवास के रूप में तब तक अनुज्ञात या उपयोग नहीं करेगा जब तक कि वह पर्यटन विभाग से, इस विभाग द्वारा विरचित स्कीम के अनुसार रजिस्ट्रीकृत न हो।

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबंधों का या तदधीन विरचित स्कीम में अन्तर्विष्ट उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह प्रथम उल्लंघन के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा पांच सौ रुपये की शास्ति अधिरोपित किये जाने का भागी होगा और द्वितीय अतिक्रमण के मामले में वह उक्त प्राधिकारी द्वारा एक हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित किये जाने का भागी होगा।

(3) जहां उप-धारा (2) के अधीन शास्तियों के अधिरोपण के पश्चात् भी उल्लंघन जारी रहता है, वहां उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा या ऐसे कारावास से, जो सात दिनों तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

**8. गाइडों का अनुज्ञापन.**—(1) विहित प्राधिकारी, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, इतनी संख्या में गाइडों को अनुज्ञप्तियां जारी करेगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(2) किसी भी राजस्थान विधि में किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त गाइड, राजस्थान राज्य के भीतर स्थित निम्नलिखित में से किसी के भी नियंत्रणाधीन पर्यटकों की रूचि वाले समस्त संस्मारकों और स्थलों में स्वतंत्र प्रवेश के लिए अनुज्ञात किये जायेंगे, अर्थात्:-

(क) पुरातत्व विज्ञान और संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार; या

(ख) वन विभाग, राजस्थान सरकार; या

(ग) राज्य सरकार का कोई अन्य विभाग या परिकरण;

परन्तु निम्नलिखित के नियंत्रणाधीन संस्मारकों और स्थलों के संबंध में गाइडों को आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी, अर्थात्:-

(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण; या

(ii) कोई भी प्राइवेट न्यास; या

(iii) कोई भी अन्य एजेन्सी, जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है।

(3) राज्य सरकार गाइडों के अनुज्ञापन के लिए नियम विरचित करेगी और कोई भी व्यक्ति, गाइड के रूप में सेवा प्रदान करने के बदले में पारिश्रमिक के संदाय पर गाइड के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्त न कर दिया गया हो।

(4) जो कोई भी, विहित प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना गाइड के रूप में कार्य करते हुए पाया जाता है, वह पर्यटक सहायता बल के किसी भी सदस्य या पर्यटन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा विहित प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट किये जाने पर एक हजार रूपये से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का भागी होगा और विहित प्राधिकारी जांच करेगा और जुर्माना अधिरोपण करने के आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(5) जो कोई भी उप-धारा (4) के अधीन ऐसे अपराध के लिए एक बार जुर्माना लगाने के पश्चात् भी, विहित प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी भी पर्यटक गंतव्य पर गाइड के रूप में कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक के किसी भी

पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किये जाने का भागी होगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसा व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिनों तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

**9. पर्यटन व्यवसाय से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का विनियमन.**—आयुक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पर्यटन व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलापों, जैसे आमोद-प्रमोद उद्यानों, पोतारोहण पत्तन और अपोतारोहण पत्तन स्थलों पर रज्जुमार्गों पर सुविधाओं, हाथी/ऊंट/घोड़े की सफारी, पर्यटक ग्रामों, रिसोर्टों, ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प और पर्यटक क्षेत्र या किसी पर्यटक गंतव्य में अन्य सुविधाओं जैसे रेस्टोरेंटों, कैफेटेरियाओं, को विनियमित करने के लिए पर्यटकों को गुणात्मक सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसी सेवाओं के विनियमन के प्रयोजन के लिए और स्थानीय सामान्यजन के साथ ही ऐसी सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विनियम बना सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे विनियमों में ऐसी सेवाओं या क्रियाकलापों की स्थापना करने, चलाने या जारी रखने के लिए मानदण्ड, मानक, कसौटी और निबंधन तथा शर्तें सम्मिलित हो सकेंगी:

परन्तु यदि इस धारा के अधीन बनाया गया विनियम ऐसे मामले से संबंधित है जिसके संबंध में स्थानीय प्राधिकारी की किसी अन्य विधि, नियम, विनियमों या उप-विधियों में, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुज्ञापन या सुरक्षा के संबंध में, कोई उपबंध है तो ऐसा विनियम, ऐसी विधि, नियम, विनियम या उप-विधियों के अधीन होगा।

### अध्याय 3

#### शोध्यों की वसूली

**10. शोध्यों की वसूली.**—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम यदि, संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा,

शास्ति अधिरोपित किये जाने वाले अंतिम आदेश की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

#### अध्याय 4

#### फिल्म शूटिंगों का सुकरकरण और विनियमन

11. फिल्म शूटिंगों का सुकरकरण और विनियमन.—(1) किसी भी राजस्थान विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

- (i) कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में पर्यटक क्षेत्र में स्थित किसी स्थान या स्थल पर या विरासत स्थल पर या अन्य किसी स्थल पर फिल्म शूटिंग करना चाहता है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन है या सरकार द्वारा उसे धारित करने के लिए स्वयं के निमित्त किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित कर दिया गया है, आयुक्त को आवेदन करेगा जो राज्य के सभी विभागों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा;
- (ii) आयुक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से फिल्म शूटिंगों के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के लिए उपबंधित किया जा सकेगा,—
  - (क) एजेंसियों द्वारा फिल्म शूटिंग के लिए आशयित आवेदनों के निपटारे के लिए एकल खिड़की निर्बाधन प्रणाली;
  - (ख) आवेदन का प्ररूप और आवेदन की फीस;
  - (ग) स्थल फीस, प्रति दिवस;
  - (घ) पुलिस वहन के लिए प्रभार;
  - (ङ) प्रक्रिया-प्रभार;
  - (च) प्रतिभूति जमा;
  - (छ) आवेदक से परिवचन, कि वह किसी भी प्राकृतिक या मानव-निर्मित विरासत स्थल को, जो फिल्म शूटिंग के स्थल का भाग है, विरूपित, अपवित्र नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचायेगा और यदि कोई भी हानि

कारित की जाये तो वह प्रत्यावर्तन प्रभार का संदाय करके हानि की पूर्ति करेगा, और जहां नुकसान अपूरणीय है या उपेक्षा-पूर्वक या विमर्शित रीति से कारित किया गया था वह विधि के अनुसार दंड और शास्तियों का भी भागी होगा;

- (iii) इस धारा के अधीन विरचित विनियमों के उपबंधों के अनुसार आयुक्त द्वारा एक बार अनुज्ञा मंजूर किये जाने पर वह राज्य के सभी विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगी।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(3) कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (1) के खण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थानों या स्थलों पर तब तक फिल्म शूटिंगें प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि उसे आयुक्त द्वारा ऐसा करने के लिए अनुज्ञा न कर दिया गया हो।

## 12. उल्लंघन के लिए शास्तियां और दंड.—(1) जो कोई भी,—

(क) धारा 11 की उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करता है और अनियमितताएं कारित करता है;

(ख) कार्य या लोप के कृत्य द्वारा या उपेक्षापूर्वक किसी भी विरासत स्थल या अन्य किसी परिसर या प्राकृतिक विरासत के स्थानों जैसे कि वन (इसकी वनस्पति और जीव-जंतुओं सहित), पहाड़ियों, छोटी पहाड़ियों, खोह, रेत के टीलों, झीलों, नदियों, और इसी प्रकार के स्थानों जहां राज्य सरकार द्वारा फिल्म शूटिंग अनुज्ञात की गयी थी, को विरुधित करता है, अपवित्र करता है, नष्ट करता है, या नुकसान जो प्रत्यावर्तन के अधीन है कारित करता है,

वह, जहां कारित नुकसान प्रत्यावर्तन के अधीन है, वहां प्रत्यावर्तन के अधीन प्रत्यावर्तन प्रभारों के लिए दायी होगा।

(2) जहां नुकसान पूरणीय है, वहां आयुक्त, राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग और विषय पर अन्य विशेषज्ञों, यदि कोई हों, से

परामर्श के पश्चात् प्रत्यावर्तन की लागत का निर्धारण करेगा और प्रत्यावर्तन प्रभार अधिरोपित करने के लिए और उसकी वसूली के लिए आदेश देगा और प्रत्यावर्तन प्रभारों की वसूली के लिए आदेश देने के अतिरिक्त दस लाख रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(3) जो कोई भी, जिसको धारा 11 के अधीन फिल्म शूटिंग के लिए अनुज्ञा मंजूर की गयी है, किसी विरासत स्थल पर स्थान, अवस्थिति या अन्य वस्तुओं को उपेक्षापूर्वक नहीं, किन्तु विमर्शित कार्यों से इस जानकारी के साथ कि उसके कार्यों या लोपों से स्थलों, परिसरों, अवस्थितियों को नुकसान होने की संभावना है या नुकसान होना निश्चित है, नुकसान कारित किया हुआ पाया जाता है, और कारित नुकसान इतना व्यापक और अपूरणीय है कि इसका प्रत्यावर्तन या पूर्ति नहीं की जा सकती तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या, दोनों से दंडादिष्ट किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन शास्ति और दंड, ऐसी किसी अन्य कार्रवाई या कार्यवाही, जो किसी भी अन्य विधि के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धियों या दंडादेश को सम्मिलित करते हुए, आरंभ या अग्रसर की गयी हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिरोपित किया जायेगा और दिया जायेगा।

(5) जो कोई भी, —

- (i) धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (छ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और के अधीन दिये गये परिवचन का अतिक्रमण करता है; या
- (ii) धारा 11 की उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या
- (iii) किसी विरासत स्थल को स्वैरता से अन्यथा नुकसान कारित करता हुआ पाया जाता है,

वह, यथास्थिति—

- (क) धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (छ) के अधीन दिये गये परिवचन का अतिक्रमण करने; या



- (ख) धारा 11 की उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों का उल्लंघन करने; या,
- (ग) किसी विरासत स्थल को स्वैरता से नुकसान कारित करने,

के अपराध का दोषी होगा और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए, ऐसा व्यक्ति, दोषसिद्धि पर ऐसे कठोर कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

### अध्याय 5

#### पर्यटक स्थानों, क्षेत्रों या गंतव्यों में कतिपय कृत्यों और क्रियाकलापों का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड

13. पर्यटक स्थानों, क्षेत्रों और गंतव्यों में कतिपय कार्यों और क्रियाकलापों का प्रतिषेध.—(1) किसी भी राजस्थान विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, किन्हीं भी पर्यटक स्थानों, क्षेत्रों या गंतव्यों में या उनके आस-पास दलाली, भिक्षावृत्ति का कार्य नहीं करेगा और विक्रय के लिए वस्तुओं की फेरी नहीं लगायेगा।

(2) जो कोई भी किसी भी पर्यटक क्षेत्र या पर्यटक गन्तव्य में या उसके आस-पास वस्तुतः दलाली का कार्य करता है, उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जायेगा और अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा, और ऐसा व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसे कठोर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबंधों का अतिक्रमण करके दलाली का, पश्चात्वर्ती अपराध कारित करता है, और उप-धारा (2) के अधीन एक बार दंडित किये जाने के पश्चात् भी दलाली का कार्य करता है तो उसको किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जायेगा और अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसा व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसे कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(4) जो कोई भी, दो बार से अधिक, अर्थात् उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अधीन दंडित किये जाने के पश्चात् भी अभ्यासतः दलाली का कार्य करता है तो उसको किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जायेगा और अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा, और ऐसा व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसे कठोर कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(5) जो कोई भी, पर्यटन महत्व के किसी भी स्थान या किसी भी पर्यटक गंतव्य या किसी पर्यटन क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करता है या वस्तुओं के विक्रय के लिए स्वयं फेरी लगाता है तो उसे उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रतिषेध के प्रथम उल्लंघन पर पर्यटक सहायता बल कार्मिक द्वारा तितर-बितर कर दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटा दिया जायेगा।

(6) जब कभी भी किसी पर्यटक सहायता बल कार्मिक को यह प्रतीत होता है कि किसी भिखारी या फेरी लगाने वाले ने या ऐसे व्यक्तियों के किसी निकाय ने, जिसके क्रियाकलाप उप-धारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध हैं, पर्यटक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो वह प्रतिषेध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को वह क्षेत्र छोड़ने के लिए निदेश देगा और उनको उस क्षेत्र से परे हटायेगा।

(7) जब कभी भी ऐसे भिखारियों या फेरी लगाने वाले व्यक्तियों का समूह, जिनके क्रियाकलाप उप-धारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध हैं, के प्रवेश करने की युक्तियुक्त आशंका या संभाव्यता हो तो पर्यटक सहायता बल कार्मिक, पर्यटन क्षेत्र में उनके प्रवेश को रोकेगा और उनको वहां प्रवेश न करने का निदेश देगा। पर्यटक सहायता बल कार्मिक इस तथ्य की प्रविष्टि ऐसी डायरी में अभिलिखित करेंगे जो उनके द्वारा विहित रीति से संधारित की जायेगी।

(8) जब कभी भी कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसको उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के अधीन उसे या उन्हें पर्यटक क्षेत्र से स्वयं हटने का निदेश दे दिया गया है,—

- (क) यथा निदेशानुसार अपने आपको हटाने में विफल रहता है; या
- (ख) स्वयं अपने को या उन्हें हटाये जाने के पश्चात् उस क्षेत्र या उसके भाग में पुनः प्रवेश करता है—

तो किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़ा जायेगा और उस क्षेत्र से हटाया जायेगा और उस क्षेत्र से बाहर मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार पकड़े जाने और मुक्त किये जाने को पुलिस थाने में संधारित की जाने वाली दैनिक डायरी में अभिलिखित किया जायेगा।

(9) जो कोई भी उप-धारा (6) या (7) के अधीन अतिक्रमण कारित करने और उप-धारा (8) के अधीन उसके परिणामस्वरूप हटाये जाने के पश्चात् भी उस पर उप-धारा (1) के अधीन किसी पर्यटक क्षेत्र में भिक्षावृत्ति या वस्तुओं के विक्रय के लिए फेरी लगाने पर अधिरोपित प्रतिषेध का और अतिक्रमण कारित करता है तो अपराधी को किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जायेगा और पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा जो पुलिस अधिकारी और साथ ही साथ अपराधी का कथन भी अभिलिखित करेगा और अपराधी द्वारा इस अधिनियम के अतिक्रमणों की घटनाओं को दर्शित करने वाली दैनिक डायरी या अन्य अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपराधी और पुलिस अधिकारी को सुनने के पश्चात् अपने निष्कर्षों को संक्षिप्त रीति से अभिलिखित करेगा और जहां अपराधी इस धारा में यथापूर्वोक्त प्रतिषेध के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, वहां पर्यटन विभाग का संबंधित अधिकारी उप-धारा (1) के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए पांच सौ रुपये से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित करेगा।

(10) जो कोई भी उप-धारा (9) के अधीन दंडित किये जाने के पश्चात् भी, उप-धारा (1) के अधीन किसी पर्यटक क्षेत्र में भिक्षावृत्ति या वस्तुओं के विक्रय के लिए फेरी लगाने पर अधिरोपित प्रतिषेध का कोई पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करता है तो किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जायेगा और अपराधी को अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और दोषसिद्धि पर, ऐसे कठोर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

**अध्याय 6****पर्यटक क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति  
स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य**

**14. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता इत्यादि के प्रति स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य.**—(1) किसी भी राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उन स्थानीय प्राधिकारियों का, जिनके स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत पर्यटक गंतव्य के स्थान या पर्यटक क्षेत्र स्थित हैं, यह कर्तव्य होगा कि वे उनके अपने-अपने स्थानीय क्षेत्रों में सफाई सुनिश्चित करें और संपत्तियों के विरूपण और अपवित्र किये जाने को रोकें, साथ ही मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने को प्रतिषिद्ध करने वाली विधियों का प्रभावी ढंग से प्रवर्तन करें, और सभी सड़कों, मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य सफाई बनाये रखें और, इसलिए इसके द्वारा यह उनका कानूनी कर्तव्य घोषित किया जाता है कि वे समस्त पर्यटक गंतव्य स्थानों और क्षेत्रों को साफ और स्वास्थ्यकर रखेंगे, और संबंधित स्थानीय प्राधिकारी, सड़कों, नालियों, मेनहोलों की सफाई और मार्गों पर प्रकाश के रख-रखाव और संबंधित क्षेत्रों में उन स्थानों और विरासत स्थलों में और उनके आसपास जो पर्यटक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं या जिस क्षेत्र में पर्यटक प्रायः आते हैं, अधिकरणों का निवारण सुनिश्चित करेंगे।

(2) राज्य सरकार का नगरीय विकास विभाग उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन का पर्यवेक्षण करेगा और स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कानूनी कर्तव्य के कड़ाई से अनुपालन के लिए निदेश जारी कर सकेगा और लगातार अनुपालन और व्यक्तिगत मामलों में, गलती करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारियों को शासित करने वाली विधियों के अनुसार कार्यवाही आरंभ करेगा।

**अध्याय 7****सांख्यिकी जानकारी**

**15. सांख्यिकी जानकारी.**—(1) प्रत्येक सेवा प्रदाता, चाहे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रवर्ग के सेवा प्रदाता के रूप में अनुज्ञप्त, मान्यताप्राप्त या रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, ऐसी सांख्यिकी जानकारी या सांख्यिकी आंकड़े, ऐसे अन्तराल पर और ऐसे प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारी को जैसाकि विहित किया जाये, देने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे उप-धारा (1) के अनुसार सांख्यिकी जानकारी दिया जाना अपेक्षित है, ऐसी सांख्यिकी जानकारी ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो विहित की जाये, देने में विफल रहता है, तो प्रथम अननुपालन के लिए वह ऐसी शास्ति अधिरोपित किये जाने का दायी होगा जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्पूर्वी अननुपालन के लिए उक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति अधिरोपित किये जाने का दायी होगा जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी।

(3) जहां उप-धारा (1) के उपबंधों के अननुपालन की रिपोर्ट पर्यटन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा, विहित प्राधिकारी को की जाती है वहां विहित प्राधिकारी, उप-धारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व, व्यक्तिक्रमी व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने के लिए बुलायेगा कि उक्त उप-धारा के अधीन यथा उपबंधित शास्ति उस पर क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए और व्यक्तिक्रमी व्यक्ति द्वारा हेतुक दर्शित किये जाने के पश्चात्, जहां विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सांख्यिकी जानकारी देने में विलम्ब विमर्शित नहीं था और उक्त व्यक्ति को उसके नियंत्रण से परे कारण से रोका गया था तो वह विलम्ब को माफ कर सकेगा और यदि व्यक्तिक्रमी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये कारणों से उसका समाधान नहीं होता है तो वह आदेश द्वारा उस आदेश में इसके लिए कारण दर्शित करते हुए शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(4) जहां उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सांख्यिकी जानकारी देने के लिए आबद्ध कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (3) के अधीन शास्तियों के अधिरोपण के पश्चात् भी उक्त उप-धारा के उपबंधों का उल्लंघन जारी रखता है तो वह दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो दो मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

## अध्याय 8

### पर्यटन व्यवसाय को उद्योग के रूप में घोषित करना

**16. पर्यटन सेक्टर के अधीन व्यवसाय और सेवा प्रदाताओं को उद्योग के रूप में घोषित करना.**—पर्यटन सेक्टर में समस्त व्यवसाय और सेवा प्रदाताओं को इसके द्वारा ऐसे समस्त प्रयोजनों के लिए, जिनका संक्षिप्त उल्लेख राज्य सरकार की पर्यटन नीति में किया गया है या जो समय-समय पर उसके द्वारा घोषित किये जायें, जिनमें मान्यताप्राप्त और

रजिस्ट्रीकृत पर्यटन इकाइयों के लिए राज्य सरकार से प्रोत्साहनों और रियायतों की उपलब्धता और साथ ही वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उनके मानकों और नीतियों के अनुसार वित्त की उपलब्धता सम्मिलित हो सकेगी, उद्योग घोषित किया जाता है।

## अध्याय 9

### पर्यटक सहायता बल

17. पर्यटक सहायता बल.—(1) कार्मिकों का एक विशेष समूह जिसका नाम पर्यटक सहायता बल है, आयुक्त द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर लगाया, प्रतिनियुक्त या नियुक्त किया जायेगा जो उसके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें।

(2) पर्यटक सहायता बल, राजस्थान राज्य पुलिस या अन्य उपयुक्त प्रशिक्षित कार्मिकों में से लिये गये ऐसे विशेषरूप से प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों से मिलकर बनेगा जो राज्य सरकार अवधारित और विनिर्दिष्ट करे।

(3) पर्यटक सहायता बल ऐसे कृत्यों का, जो उसे इस अधिनियम के अधीन समनुदेशित किये जायें और ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा, राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार, उन्हें समनुदेशित किये जायें, निर्वहन करेगा।

(4) पर्यटक गंतव्य पर पर्यटन विभाग का भारसाधक अधिकारी, उस स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी पुलिस उप-अधीक्षक के परामर्श से पर्यटक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पर्यटक सहायता बल अभिनियोजित करेगा। इन दोनों विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी गयी है और वे उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षित हैं। दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच किसी विवाद की दशा में मामला जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा और उन पर बाध्यकारी होगा।

(5) पर्यटक क्षेत्र या पर्यटक गंतव्य को समाविष्ट करने वाले स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले पर्यटन विभाग के प्रभारी अधिकारी को यदि और जब ऐसा अवसर आये, पर्यटक सहायता बल

कार्मिकों को निदेश देने की शक्ति होगी और वे इस अधिनियम या राज्य सरकार या आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उन्हें समनुदेशित किये गये कृत्यों के मामलों में इन निदेशों का अनुपालन करेंगे।

(6) पर्यटक सहायता बल कार्मिक दलालों, फेरी लगाने वालों, भिखारियों इत्यादि पर निगरानी रखेंगे और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए पर्यटक सहायता बल कार्मिक पर्यटक क्षेत्रों में गश्त लगायेंगे और अवैध फेरी लगाने वालों और दलालों, भिखारियों इत्यादि के विरुद्ध समुचित कार्रवाई आरंभ करने के लिए अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को समय पर सूचित करेंगे और थानाधिकारी या पुलिस थाने का तत्समय भारसाधक अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के लिए और पर्यटक सहायता बल कार्मिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधि के अनुसार कार्य करेगा।

(7) पर्यटक सहायता बल कार्मिक अपने शरीर पर नाम का टैग और ऐसी वर्दी और अधिकार-चिह्न और अन्य उपसाधन धारण करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें और सम्यक् रूप से प्रदर्शित फोटो पहचान पत्र रखेंगे।

**18. पर्यटक सहायता बल को समनुदेशित कृत्यों को विनियमित करने के लिए विनियम विरचित करना.**— राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयुक्त, पर्यटक सहायता बल को विनियमित करने के लिए ऐसे विनियम विरचित कर सकेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत नहीं हों।

## अध्याय 10

### विरासत पर्यटन

**19. विरासत पर्यटन पर नीति बनाना.**—(1) राज्य सरकार, पर्यटन विरासत पर नीति उसमें विरासत होटलों, अन्य विरासत स्थलों और विरासत गावों के लिए विशेष रियायतों और प्रोत्साहनों के पैकेज सम्मिलित करते हुए बनायेगी और इसके विकास के लिए और साथ ही सुकरकरण और विनियमन के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध करेगी

और उस पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित करेगी और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेगी।

(2) ऐसी नीति विरासत पर्यटन की समुचित और समयोचित वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी।

**20. विरासत स्थलों पर अच्छी स्वास्थ्यकर परिस्थितियां बनाये रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त.—**(1) राज्य सरकार को, धारा 19 के अधीन विरासत पर्यटन पर नीति बनाने के अतिरिक्त, उस रीति के संबंध में समय-समय पर विशेष या सामान्य निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिससे विरासत स्थलों के निकट होटलों, जलपान गृहों, कियोस्कों, चाय की दुकानों या थड़ियों इत्यादि द्वारा उत्पादित ठोस अपशिष्ट, यदि कोई हो, व्ययनित किया जायेगा।

(2) विरासत प्रसीमाओं या स्थलों के निकट विज्ञापनों के प्रदर्शन, प्रदर्शन-होर्डिंग खड़े करना इत्यादि से संबंधित सभी क्रियाकलाप, राज्य सरकार या संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विरचित नियमों या विनियमों द्वारा विनियमित किये जायेंगे।

(3) जो कोई भी उप-धारा(1) के अधीन दिये गये निदेशों का उल्लंघन करता है, वह विहित प्राधिकारी द्वारा पांच हजार रूपये से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का भागी होगा:

परन्तु जुर्माना अधिरोपित करने से पूर्व विहित प्राधिकारी जांच करेगा और जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश जारी करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा।

(4) जो कोई भी उप-धारा (3) के अधीन जुर्माना या जुर्माने अधिरोपित किये जाने के पश्चात् भी उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये निदेशों का और उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसे साधारण कारावास की अवधि से जो तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(5) उप-धारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन पर संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विरासत स्थलों या प्रसीमाओं को समाविष्ट करने वाले स्थानीय क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।



## अध्याय 11

## पर्यटन उद्योग में लोक-निजी सहभागिता

21. पर्यटन उद्योग में लोक-निजी सहभागिता.—(1) पर्यटन विभाग द्वारा, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की उन इकाइयों के संबंध में, प्राइवेट उद्यमकर्ताओं के साथ सहयोग के लिए आमंत्रित करने के प्रयास किये जायेंगे जो ऐसे किसी अध्यक्ष से बेहतर परिणाम दे सकती हैं।

(2) निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए पर्यटन सेक्टर में सेवा देने वाली नयी विकासक्षम परियोजनाएं या इकाइयां प्रारंभ की जा सकेंगी।

(3) व्यवसाय में विकासक्षम और लाभप्रदता के आश्वासन की भावना उत्पन्न करने के लिए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया जा सकेगा।

## अध्याय 12

## प्रकीर्ण

22. मान्यता के मिथ्या प्रदर्शन के लिए दण्ड.—(1) कोई भी सेवा प्रदाता, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अनुसार मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मिथ्या रूप से प्रदर्शित करता है कि वह पर्यटन विभाग या राज्य सरकार से, विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता के रूप में मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत है, तो विहित प्राधिकारी को उस पर ऐसे प्रथम अपराध के लिए दस हजार रुपये से अनधिक और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक लाख रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परन्तु विहित प्राधिकारी शास्ति के अधिरोपण का आदेश देने से पूर्व प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(2) विहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा, अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील, आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर की जा सकेंगी और अपील प्राधिकारी का आदेश राज्य सरकार द्वारा पुनर्विलोकन के अधीन होगा।

(3) जहां कोई भी सेवा प्रदाता जो उप-धारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित किये जाने के पश्चात् भी यह प्रदर्शित या दर्शित करना जारी

रखता है कि वह ऐसे पर्यटन विभाग या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या रजिस्ट्रीकृत है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो दो मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

**23. अनाचार या अन्य उल्लंघन के लिए दण्ड.**—जो कोई भी किसी पर्यटक क्षेत्र में अनाचार कारित करता है या इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी भी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं की गयी है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

**24. लगातार उल्लंघन, अतिक्रमण या व्यतिक्रम के लिए दण्ड.**—कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों के अधिरोपण और दण्ड दिये जाने के पश्चात् भी इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का और उल्लंघन, अतिक्रमण या व्यतिक्रम कारित करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो तीन मास तक की हो सकेगी, दंडादिष्ट किया जायेगा।

**25. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.**—राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले राज्य सरकार के किसी कृत्यकारी या पर्यटक सहायता बल कार्मिक या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या विरचित स्कीम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी हो या किये जाने के लिए आशयित हो।

**26. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान.**—राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी के प्राधिकार द्वारा या के अधीन की गयी शिकायत पर के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अध्याय 2, 4, 5, 7, 10 और 12 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

**27. कंपनियों द्वारा अपराध.**—(1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किये जाने के समय कंपनी का प्रभारी और उसके कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही साथ वह कंपनी उल्लंघन की दोषी समझी जायेगी और उसके

विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दायित्वाधीन होगी और तदनुसार दंडनीय होगी:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया था तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दायित्वाधीन और तदनुसार दंडनीय होगा।

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और
- (ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

**28. साक्षियों और अन्य व्यक्तियों को समन करने और हाजिर कराने की विहित प्राधिकारी की शक्तियां.**—(1) विहित प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:—

- (i) किसी ऐसे व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना, जिसके विरुद्ध जांच की जानी है और उसके संबंध में साक्षी अपेक्षित हैं;
- (ii) कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना; और
- (iii) साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करना।

(2) जैसाकि उप-धारा (1) के अधीन उपबंधित किया गया है, उसके अतिरिक्त विहित प्राधिकारी को स्वप्रेरणा से ऐसे किसी भी व्यक्ति को समन करने और उसकी परीक्षा करने की शक्ति होगी जिसका साक्ष्य

उसकी राय में, उसके द्वारा जांच किये जा रहे किसी भी मामले में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तात्त्विक प्रतीत हो।

(3) ऊपर निर्दिष्ट साक्षियों और अन्य व्यक्तियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, विहित प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं का प्रसार संपूर्ण राज्य में होगा।

**29. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.**—इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राजस्थान विधि या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी प्रथा या रूढ़ि या लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

**30. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

**31. नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि, उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता

है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**32. निरसन और व्यावृत्तियां.—**इस अधिनियम के प्रारंभ से,—

- (i) राज्य सरकार द्वारा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाये गये या विरचित किये गये कोई भी नियम, आदेश और स्कीमें, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, निरसित हो जायेंगी और ऐसे निरसन पर राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) की धारा 6 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों कि इस प्रकार निरसित नियम, आदेश और स्कीमें राजस्थान अधिनियम के उपबंध हों;
- (ii) इस अधिनियम से आवृत्त विषय-वस्तु पर राज्य सरकार द्वारा कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाये गये नियम, किये गये आदेश और विरचित स्कीमें जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त हैं और जो इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हैं, जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अनुसार बनाये गये, किये गये या विरचित की गयी समझी जायेंगी, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नये नियमों, किये गये आदेशों या विरचित स्कीमों द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायें।

**अनुसूची**

(धारा 4 की उप-धारा (7) देखिए)

सेवा प्रदाताओं के प्रवर्ग	शास्ति की रकम, जो मानक की अननुषक्ति के लिए अधिरोपित की जा सकेगी
1. होटल (क) जिसमें 40 तक कमरे हों	10,000 / -रुपये
(ख) जिसमें 40 से अधिक कमरे हों	20,000 / -रुपये
2. मोटेल	10,000 / -रुपये
3. विरासत होटल (क) आधारभूत	10,000 / -रुपये
(ख) उत्कृष्ट और ग्रांट	20,000 / -रुपये
4. टूर आपरेटर या यात्रा एजेन्सी	20,000 / -रुपये
5. भ्रमण एजेंट या हाथी, घोडा, ऊंट सफारी संचालक	15,000 / -रुपये
6. रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया	5,000 / -रुपये
7. हस्तशिल्प एम्पोरियम	25,000 / -रुपये
8. पर्यटक ग्राम संचालक	10,000 / -रुपये
9. रज्जुमार्ग सेवा प्रदाता	25,000 / -रुपये
10. आमोद-प्रमोद पार्क संचालक	25,000 / -रुपये
11.(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड	10,000 / -रुपये
(ख) राज्य स्तर का गाइड	5,000 / -रुपये
(ग) स्थानीय स्तर का गाइड	5,000 / -रुपये
12. अन्य कोई भी सेवा प्रदाता	5,000 / -रुपये

**टिप्पण:-** उपर्युक्त शास्ति प्रथम अपराध के लिए है। द्वितीय अपराध के लिए शास्ति की रकम दुगनी हो जायेगी। अन्य पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, परिचालन की अनुज्ञप्तियां समपहत की जायेंगी।

एस. एस. कोठारी,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

**Jaipur, April 29, 2010**

**No. F. 2 (14) Vidhi/2/2010.**—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Paryatan Vyavasay (Sukarkaran Aur Viniyaman, Adhinyam, 2010 (2010 Ka Adhinyam Sankhyank 9) :-

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN TOURISM TRADE (FACILITATION  
AND REGULATION) ACT, 2010**

**(Act No. 9 of 2010)**

**[Received the assent of the Governor on the 28<sup>th</sup> day of April, 2010]**

*An*

*Act*

*to provide for acceleration of growth of tourism trade and industry in the State and to provide for, at various tourist destinations, facilities to the tourists visiting the State and to provide for certain measures to make their travel hassle free as also to regulate conduct of persons confronting them or dealing with them and for boosting tourism traffic at heritage sites and also to provide for matters connected therewith and incidental thereto.*

Whereas, with a view to accelerate tourism potential of the State, it is expedient to declare specifically tourism sector and trade therein as an industry and to make better provisions for upkeep of places and locations frequented by tourists by making it a statutory duty of the local authorities and making compliance thereof mandatory as also to ensure removal of hindrances coming in the way of tourists and further to make their visit comfortable, easy and self-assuring, to adopt certain measures in the shape of establishment of Tourist Assistance Force to deal with persons like touts (which in common parlance are known as 'lapkas'), beggars,

hawkers, taxi-car drivers, (which includes auto rickshaws and rickshaws) or any other elements who unduly harass or annoy the tourists so as to solicit and obtain undue pecuniary gain;

Whereas, it is further expedient to provide for setting out standards of services being provided by service providers and provide for recognition of service providers who are found to be of requisite standard and to provide for adherence by them to the stipulated norms and standards of the trade as also to provide for their obligation thereunder and also to provide for consequences of non-adherence thereof;

Whereas, it is further also expedient to provide for facilitation of growth of tourism trade and industry by offering avenues for investment by public-private partnership and to provide for collection of statistical data from service providers for the purpose of monitoring, future planning and growth of tourism trade and industry.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

## CHAPTER - I

### *Preliminary*

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) This Act may be called the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2010.

(2) It shall extend to whole of the State except sections 13, 14 and 20 which shall extend only to such places and areas which are tourist areas or tourist destinations or heritage sites.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.**— In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

- (a) "appellate authority" means an appellate authority appointed under sub-section (2) of section 5 and notified as such in the Official Gazette;



- (b) "certificate of recognition and registration" means a certificate issued under sub-section (4) of section 4;
- (c) "Commissioner" means the Commissioner, Department of Tourism, Government of Rajasthan and includes the Director, whenever an officer is posted on the aforesaid post with such designation;
- (d) "Guide" means a person who is authorized under a license issued under section 8 to conduct tourists around tourist spots, monuments etc.;
- (e) "hawking articles for sale" means carrying and selling articles as a hawker in the tourist area for sale to the tourists and offering articles to the tourists even when not solicited and such offer is specifically spurned down and still the hawker persisting in selling the articles even by following a tourist in an undesirable manner and pestering a tourist to purchase the articles offered;
- (f) "heritage" includes anything inherited from ancestors whether as gifts of nature to mankind such as air, water, land (including flora and fauna, groves, mountains, hills, hillocks, rocks, caves, points, walk ways, rides, water falls, lakes, rivers, gorges etc.) or as man made things such as forts, palaces, other buildings and structures, artifacts including areas and precincts of historical, architectural, aesthetical and cultural significance covering manner of town and country planning as also way of life, generally encompassing faith, belief, ethos, art, literature, scriptures, customs, traditions, fairs, festivals, food habits and clothings and general trait of behaviour passed down from previous generations;
- (g) "heritage hotel" means a hotel run in a fort, a fortress, a palace, a haveli, a castle, hunting lodge or residences with heritage features built prior to a date specified by the State Government;

- (h) "hotel" means any premises or part of premises where lodging with or without board or other services are by way of business or trade is provided for a monetary consideration;
- (i) "hotelier" means any person who operates a hotel as proprietor and includes a person managing the affairs of a hotel on behalf of proprietor;
- (j) "local authority" means a Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Board, Panchayati Raj Institution, Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority or any similar Authority established by law and Urban Improvement Trusts in their respective area of jurisdiction and shall include any other authority declared as such by the State Government;
- (k) "malpractices", includes,-
- (i) touting (which shall include pestering any tourist or group of tourists for availing facilities of shopping, accommodation, transportation, sightseeing or even goading to the extent of harassing tourist to visit any particular premises or establishment, dealer or any other service providers connected with tourism trade or any other establishment where tourist would like to stay or purchase something);

**Explanation.-**Any recognized, registered or bonafide service provider already engaged by any tourist or whose services were hired or resorted by the tourist voluntarily, when receives or contacts any tourist at any place where tourist visits, such person while so receiving or contacting shall not be treated as a tout within the meaning of this clause;

- (ii) charging a price higher than that displayed and/or declared;

- (iii) charging remuneration higher than that fixed;
- (iv) failure to display prices;
- (v) failure to display tariff;
- (vi) failure to give cash memo/credit memo;
- (vii) failure to execute an order according to terms agreed within reasonable time after the expiry of the period for performance of the obligation;
- (viii) charging tariff higher than fixed and displayed;
- (ix) the receiving and paying of any monetary gratification or commission for touting, coercing or forcing the tourist;
- (x) use of misleading names and logos such as palace, fort, haveli even when requisite characteristics of such places are missing; or showing of incorrect star rating of a hotel or showing names or abbreviations and logos similar to those which are in existence since long and reputed as such; with the intention to attract the tourists or people at large by colourable imitation of established and reputed name of bonafide service providers or public bodies; and
- (xi) any uncalled for person waiting outside any tourist place and hotel with intent to follow any tourist without his/her wishes;

**Explanation.**-For the purposes of this clause,-

- (I) delay or fault in service owing to mechanical or natural failure of any system or apparatus despite due care and caution would not amount to be malpractice;
- (II) inability of any service provider to perform its commitments owing to vis majeure or State action, will not be treated as a malpractice;
- (I) "motel" means a wayside place which provides basic amenities for tourists travelling by road

including regular meals, fast food, over night accommodation, parking place etc.;

- (m) "paying guest" means a tourist who stays in a paying guest accommodation approved by the Department of Tourism, Government of Rajasthan or the Central Government;
- (n) "paying guest accommodation" means a place of residence where a tourist stays on payment for boarding and lodging and such accommodation is recognized as such by the Department of Tourism, Government of Rajasthan or the Central Government;
- (o) "prescribed authority" means the prescribed authority appointed by the State Government for the purpose of this Act and notified as such in the Official Gazette;
- (p) "Schedule" means Schedule appended to this Act;
- (q) "service provider" shall include hotels, heritage hotels, motels, restaurants, dhabhas, Paying Guest Houses, handicraft shops or emporias, travel agents, tour operators, excursion agents, travel transport agencies, taxi-cabs, Guides and similar service providers who are providing services to the tourists whether they are recognized and registered as such or not by the prescribed authority;
- (r) "tourism unit" means such of the service providers as have been recognized as such or may be declared as tourism unit by the State Government from time to time;
- (s) "tourist" means a person who travels for pleasure and which,-
  - (i) in relation to a foreigner shall mean a person visiting the State on a foreign passport, staying

at least twenty four hours in the State, the purpose of whose journey is leisure (recreation, holiday, health, study, religion and sport), business, family, mission or meeting; and

- (ii) in relation to domestic traveller shall mean a person who travels to the State from outside the State or within the State to a place other than his usual place of residence and stays at the hotels or other accommodation establishments (such as tourist bungalows, travellers' lodges, youth hostels etc.) or in Dharam Shalas, Sarais, Musafirkhanas or such other places for a duration of not less than twenty four hours or one night for the purposes for pleasure (holidays, leisure, sports etc.), pilgrimages, religious and social functions/gatherings, business conferences/meetings, study and health;

**Explanation.**-For the purposes of this clause,-

- (a) persons coming to take up occupation or activities which are remunerated within the State;
- (b) person coming to establish residence in the State;
- (c) same day visitors i.e. temporary visitors such as travellers on cruises who stay for less than twenty four hours in the State;
- (d) persons visiting their home town or native place on leave or short visit for meeting relatives and friends, attending official work, social and religious functions etc. and stay in their own

- homes or with the relatives and friends and not using any sight seeing facilities;
- (e) foreigners resident in the State having taken up job or occupation in the State-  
are not to be regarded as tourists;
- (t) "tourist area" means an area frequently visited by tourists;
- (u) "Tourist Assistance Force" means the Tourist Assistance Force specified under section 17;
- (v) "Tourist Assistance Force Personnel" means members of all ranks of the Tourist Assistance Force as specified under section 17;
- (w) "tourist destination" means such place, locality or township or large geographical area containing several tourist areas to which tourists usually visit; and
- (x) "travel agent", "excursion agent" or "tour operator" means and includes a person or agency engaged in the business of making travel arrangements for tourists for a monetary consideration.

## CHAPTER-II

### *Recognition and registration of service providers and regulation of certain tourism trade related activities*

**3. Expert Committee for setting out norms, standard and general principles for recognition and registration of service providers.**– (1) For the purpose of ensuring that services provided by service providers to the tourists are of acceptable standard, the State Government shall appoint a Committee to set out standards for service providers of various categories.

(2) After considering the recommendation of the Committee referred to in sub-section (1), the State Government shall declare standard and norms for recognition and registration of service providers and general principles governing such recognition and registration by framing and publishing a scheme of recognition and registration for general information. The scheme shall also classify the norms and standard, contravention of which shall be deemed minimal, graver or gravest for the purposes of section 4.

**4. Recognition and registration of service providers, their obligations and consequences of non-adherence to norms and conditions of recognition.**— (1) Any service provider operating or intending to operate as a service provider in the State, if and when desire to have itself/himself recognized by the Department of Tourism of the State, may apply to the prescribed authority in such manner and in such form as may be provided in the scheme framed under section 3.

(2) Every application presented under sub-section (1) shall be disposed of by the prescribed authority within ninety days from the date of receipt thereof.

(3) The prescribed authority shall, unless the application is rejected and recognition and registration is disallowed or refused, record particulars of the concerned service provider in the prescribed register of service providers which are recognized and registered as such. The register shall contain such particulars and shall be maintained in such form as may be prescribed.

(4) Whenever the application of a service provider is allowed and registered under sub-section (3), the prescribed authority shall issue a certificate of recognition and registration, in such form and on payment of such fee as may be prescribed.

(5) Where any application is rejected under sub-section (3), the prescribed authority shall record reasons thereof and communicate the same, in writing, to the applicant:

Provided that no application for recognition and registration shall be rejected or refused unless the applicant is heard and reasonable opportunity of being heard is afforded to him in the matter.

(6) Every service provider who is recognized and registered under this section shall be under an obligation to maintain the requisite standard and follow the norms of trade specified under the scheme framed and published under section 3.

(7) When any service provider fails to maintain the requisite standard of services provided by him or to comply with the norms of the trade or services offered and make default in discharging responsibility as recognized service provider as set out for him in the scheme made and published under section 3, then such service provider shall, besides being liable for imposition of penalty not exceeding the amount specified for each category of service providers in the Schedule, be derecognised and his name shall be struck off from the register and his certificate of recognition and registration shall be cancelled:

Provided that before imposing penalty and/or derecognising, cancelling registration of any service provider after striking of his name from the register, the prescribed authority shall serve a notice upon him calling him to show cause as to why the purported action should not be taken against him and afford him a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(8) Where the non-adherence to norms and standards is found to be minimal, the prescribed authority may, instead of proceeding against the service provider under sub-section (7), censure the service provider and ask him to be careful in future and where the breach of norms is graver, the prescribed authority, instead of proceeding under sub-section (7), impose upon the defaulting service provider a penalty, not exceeding the amount specified in the Schedule appended to this Act:



Provided that action under sub-section (7), may be taken only in such of the cases of default where violations of norms and standard are gravest and where situation does not improve even after censuring and/or penalizing the service provider.

(9) The register containing names and particulars of service providers shall constantly be maintained, updated and shall be available on the website of the Department of Tourism of the State Government for information of tourists and people in general and may also be published in Newspapers, other periodicals as also through other modes, at such intervals, as the Commissioner of the Department of Tourism may consider appropriate.

**5. Appeal.**— (1) An appeal against the order made under sub-section (7) or (8) of section 4 by the prescribed authority shall lie to the appellate authority.

(2) The appellate authority shall be appointed by the State Government and notified as such in the Official Gazette.

**6. Exit from recognition and registration.**— Any service provider recognised and registered under section 4 shall have liberty to seek exit out of recognition and registered entities by making such an intention made known in writing to the prescribed authority, at least three months prior to the date from which exit is sought and thereafter the prescribed authority shall deregister that service provider and his name shall be struck off from the register of recognition and registered service providers.

**7. Registration of paying guest accommodation.**— (1) No person shall allow or use his house as a paying guest accommodation unless he is registered with the Department of Tourism, in accordance with the paying guest scheme framed by that Department.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or the provisions contained in the scheme framed thereunder, he shall be liable to be imposed with a penalty of rupees five hundred

by the prescribed authority for first contravention and in case of second violation he shall be liable to be imposed with the penalty of rupees one thousand by the said authority.

(3) Where the contravention continues even after imposition of penalties under sub-section (2), the person contravening the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be liable to be with fine which may extend to rupees two thousand or with imprisonment which may extend to seven days or with both.

**8. Licensing of Guides.**— (1) The prescribed authority shall issue licences in the manner as may be prescribed to such number of Guides as the State Government may determine from time to time.

(2) Notwithstanding anything in any Rajasthan law, the Guides licensed by the prescribed authority shall be allowed free entry into all monuments and places of tourist interest situated within the State of Rajasthan under the control of any of the following, namely:-

- (a) Department of Archaeology and Museums, Government of Rajasthan; or
- (b) Forest Department, Government of Rajasthan; or
- (c) Any other Department or instrumentality of the State Government:

Provided that necessary permission shall have to be obtained by the Guides in respect of the monuments and places which are under the control of the following, namely: -

- (i) Archaeological Survey of India; or
- (ii) any private trust; or
- (iii) any other agency, which is not controlled by the State Government.

(3) The State Government shall frame rules for licensing of Guides and no person shall act as a Guide on payment of remuneration in lieu of providing services as a Guide unless he is

licensed by the prescribed authority under sub-section (1) in accordance with the rules made under this Act.

(4) Whoever is found to be acting as a Guide, without obtaining licence from the prescribed authority, shall be liable to be imposed with a fine not exceeding rupees one thousand upon the matter being reported to the prescribed authority by any member of the Tourist Assistance Force or any officer of the Department of Tourism and the prescribed authority shall hold enquiry and afford opportunity of hearing to the person concerned before passing orders for imposition of fine.

(5) Whoever is found to be acting as a Guide, at any tourist destination, without obtaining licence from the prescribed authority, even after once fined for such an offence under sub-section (4), shall be liable to be arrested without warrant by any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector.

(6) Any person arrested under sub-section (5) shall be produced before the Judicial Magistrate having jurisdiction and such person shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to fifteen days or with a fine which may extend to rupees two thousand or with both.

**9. Regulation of certain tourism trade related activities.**—The Commissioner shall, from time to time, make regulations with the prior approval of the State Government to regulate tourism trade related activities like amusement parks, facilities at ropeways at the sites of embarkation and disembarkation, elephant/camel/horse safari, tourist villages, resorts, rural tourism, handicrafts, and other facilities like restaurants, cafeterias in the tourist area or a tourist destination, for the purpose of regulating such services with the object of providing quality facilities and services to the tourists and to the local populace as also to ensure safety and good health of people using such services and for that purpose such regulations may include

norms, standards, criteria and terms and conditions for settings up, running and continuing such services or activities:

Provided that if the regulation made under this section relates to any matter with respect to which there is a provision in any other law, rule, regulation or bye-law of the local authority in relation to public health, sanitation, licensing or with regarded to safety, such regulation shall be subject to such law, rule, regulation or bye-law.

### CHAPTER – III

#### *Recovery of dues*

**10. Recovery of dues.**—The amount of penalty imposed under the provisions of this Act, if not paid by the persons liable to pay within sixty days from the date of final order imposing penalty, shall be recoverable as arrears of land revenue.

### CHAPTER-IV

#### *Facilitation and regulation of film shootings*

**11. Facilitation and regulation of film shootings.**— (1) Notwithstanding anything in any Rajasthan Law,-

- (i) any person willing to undertake film shootings at any place or location situate in tourist area or at heritage site or any other location in the State which is owned by the State Government or vested by the State Government in a local authority for holding the same in its behalf, shall apply to the Commissioner who shall act as the nodal agency for all the Departments of the State;
- (ii) the Commissioner shall make regulations with the prior approval of the State Government to regulate the activities of film shootings and such regulations among other things may provide for,-

- (a) single window clearance system for disposal of applications for intending film shooting by agencies;
  - (b) form of application and application fee;
  - (c) location fee per day;
  - (d) charges for police convoy;
  - (e) processing charges;
  - (f) security deposit;
  - (g) an undertaking from the applicant that he will not deface, defile or damage any natural or man made heritage site which is part of the location for film shooting and that in case any damage is caused, he shall, make good the loss by paying restoration charges and be also liable for punishment and penalties in accordance with law where the damage is irreparable or was caused by negligence or in a deliberate manner;
- (iii) once such permission is granted by the Commissioner, in accordance with the provisions of regulations framed under this section, the same shall be binding on all the departments of State and the local authorities.

(2) The regulations made under sub-section (2) shall be published in the Official Gazette.

(3) No person shall undertake film shootings in places or locations specified under clause (i) of sub-section (1) unless permitted to do so by the Commissioner.

**12. Penalties and punishment for contravention.– (1)**

Whoever,-

- (a) contravenes the provisions of sub-section (3) of section 11 or makes default and commits irregularities in violation of provisions of regulations made thereunder;
- (b) by acts of omissions and commission or by negligence defaces, defiles, destroys or damages,

anything which is subject to restoration at any heritage site or any other premises or any place of natural heritage such as forests (with its flora and fauna) hills, hillocks, ravines, sand dunes, lakes, rivers, and the like where film shooting was allowed by the State Government;

shall be liable for restoration charges where the damage caused is subject to restoration.

(2) Where the damage is reparable, the Commissioner shall assess the cost of restoration after consulting the Public Works Department of the State Government and other experts on the subject, if any, and order for imposition of restoration charges and recovery thereof and besides ordering for recovery of restoration charges, may impose a penalty not exceeding rupees ten lakhs.

(3) Whoever, to whom permission is granted for film shooting under section 11, is found to have caused damage to the place, location or other things at a heritage site, not by negligence but through deliberate acts with the knowledge that his acts or omissions or commissions are likely to cause or bound to cause damage to the sites, premises, locations and the damage caused to is found to be so extensive and irreparable that the same cannot be restored or repaired, he shall, on conviction, be sentenced to a term of imprisonment which may extend to three months or with fine or with both.

(4) The penalty and punishment, under sub-section (1), shall be imposed and inflicted without prejudice to any other action or proceeding which may be initiated or proceeded with, including convictions and sentence for violation or contravention of any other law.

(5) Whoever,-

- (i) violates the undertaking given under and in accordance with the provisions contained in sub-clause (g) of clause (ii) of sub-section (1) of section 11; or

(ii) contravenes the provisions of sub-section (3) of section 11; or

(iii) is found to have otherwise wantonly caused damage to any heritage site,

shall be guilty of offence of,-

(a) violating the undertaking given under sub-clause (g) of clause (ii) of sub-section (1) of section 11; or

(b) contravention of provisions contained in sub-section (3) of section 11; or

(c) wantonly causing damage to the heritage site,

as the case may be, and for each of such offence, such person shall, on conviction, be punishable with rigorous imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to rupees ten lakhs or with both.

## CHAPTER - V

*Prohibition of certain acts and activities in the tourist place, areas or destination and punishment for contravention thereof*

**13. Prohibition of certain acts and activities in the tourist places, areas and destinations.**— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any Rajasthan law, no person shall engage in the practice of touting, begging and hawking articles for sale in or around any tourist place, areas or destinations.

(2) Whoever engages in actual practice of touting at any place in or around any tourist area or tourist destination, shall be arrested without warrant by any Police Officer and shall be produced before the Judicial Magistrate, having jurisdiction, and such person shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment which may extend to three months or with a fine which may extend to rupees three thousand or with both.

(3) Whoever commits subsequent offence of touting in violation of provisions of sub-section (1), and engages in the practice of touting even after having been punished once under sub-section (2), shall be arrested without warrant by any Police Officer and shall be produced before the Judicial Magistrate having jurisdiction and such person shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to rupees thirty thousand or with both.

(4) Whoever, habitually engages in the practice of touting even after having been punished more than once i.e. under sub-section (2) and sub-section (3) shall be arrested without warrant by any Police Officer and shall be produced before the Judicial Magistrate having jurisdiction and such person, on conviction, be punished with rigorous imprisonment which may extend to seven years or with fine which may extend to rupees one lakh or with both.

(5) Whoever practices begging or engages himself in hawking articles for sale at any place of tourist importance or any tourist destination or in any tourist area, shall upon first contravention of prohibition made under sub-section (1), shall be dispersed by the Tourist Assistance Force Personnel and such person shall be removed from that area.

(6) Whenever it appears to any Tourist Assistance Force Personnel that any beggar or hawker or a body of such persons whose activities are prohibited under sub-section (1), have entered in the tourist area, shall direct the persons contravening the prohibition to leave the area and remove themselves beyond that area.

(7) Whenever there is reasonable apprehension or likelihood of entry of persons or group of beggars or hawkers whose activities are prohibited under sub-section (1), the Tourist Assistance Force Personnel shall prevent their entry in the tourist



area and direct them not to enter there. The Tourist Assistance Force Personnel shall record the entry of this fact in a diary which shall be maintained by them in the prescribed manner.

(8) Whenever any person or group of persons to whom direction has been given under sub-section (6) or sub-section (7), to remove himself or themselves from the tourist area, -

- (a) fails to remove himself or themselves as directed; or
- (b) having removed himself or themselves, re-enters the area or part thereof-

shall be apprehended and removed from that area by any Police Officer and released outside that area and entry of such apprehension and release shall be recorded in the daily diary maintained at the police station.

(9) Whoever commits further violation of the prohibition imposed on begging or hawking articles for sale in any tourist area under sub-section (1), even after having committed violations under sub-sections (6) or (7) and his consequential removal under sub-section (8), the offender shall be arrested by any Police Officer and shall be produced before any officer of Tourism Department, not below the rank of Assistant Director who shall record the statement of the Police Officer as well as of the offender and peruse the daily diary or other record showing events of violations of this Act by the offender and after hearing the offender and the Police Officer record his findings in a summary manner and where the offender is found to be guilty of violation of prohibition as aforesaid in this section, the concerned officer of Tourism Department shall impose a fine not exceeding rupees five hundred for violation of provisions of sub-section (1).

(10) Whoever commits any subsequent violation of the prohibition imposed on begging or hawking articles for sale in any tourist area under sub-section (1), even after having been punished under sub-section (9), shall be arrested without warrant by any Police Officer and the offender shall be produced before the

Judicial Magistrate, having jurisdiction, and shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment which may extend to three months or with a fine which may extend to rupees three thousand or with both.

## CHAPTER - VI

### *Duties of local authorities towards public health and sanitation in the tourist area*

**14. Duties of local authorities towards public health and sanitation etc.**– (1) Notwithstanding anything contained in any Rajasthan Law, the local authorities under whose local areas, the places of tourist destination or tourist areas are situate, shall have the duty to ensure cleanliness and check defacement and defiling of the properties in their respective local areas as also to effectively enforce the laws prohibiting littering on streets and public places and to maintain general cleanliness at all roads, streets and public places and, therefore, it is hereby declared their statutory duty to keep all places and areas of tourist destination, clean and hygienic and concerned local authorities shall ensure cleaning of roads, drains, main-holes and maintenance of street lights and prevention of encroachments in and around those places and heritage sites in respective areas, which are known as tourist areas or an area frequented by tourists.

(2) The State Government, in the Department of Urban Development shall oversee the compliance of provisions contained in sub-section (1) and may issue directions to the concerned local authorities for strict compliance of their statutory duty and in cases of persistent non-compliance and default, initiate action against erring local authorities in accordance with the laws governing such local authorities.

**CHAPTER - VII***Statistical information*

**15. Statistical information.**– (1) Each and every service provider whether licensed, recognized or registered as service provider of any category under the provisions of this Act or not, shall be duty bound to furnish such statistical information or statistical data and at such intervals and in such form to such authority as may be prescribed.

(2) If any person, who is required to furnish the statistical information in terms of sub-section (1), fails to furnish such statistical information within the period as may be prescribed, he shall, upon first non-compliance, be liable to be imposed with a penalty which may extend to rupees one thousand and upon second or subsequent non-compliance, be liable to be imposed by the said authority with a penalty which may extend to rupees two thousand.

(3) Where any non-compliance of the provisions of sub-section (1) is reported to the prescribed authority by any officer of the Department of Tourism, the prescribed authority shall, before imposing penalty under sub-section (2), call upon the defaulting person to show cause as to why a penalty as provided under said sub-section should not be imposed and after showing cause by the defaulting person, where the prescribed authority is satisfied that delay in furnishing the statistical information was not deliberate and the said person was prevented by cause beyond his control, he may condone the delay and in case he is not satisfied with the reasons put forth by the defaulting person, he may, by order, impose a penalty assigning reasons therefor in the order.

(4) Where any person bound to furnish statistical information in terms of the provisions contained in sub-section (1), continues to contravene the provisions of said sub-section even after the imposition of penalties under sub-section (3), shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two months or with fine or with both.

**CHAPTER VIII***Declaration of tourism trade as industry*

**16. Declaration of trade and service providers under tourism sector as industry.**— All trade and service providers in tourism sector are hereby declared as industry for all such purposes as are outlined in the tourism policy of the State Government or as may be declared by it from time to time which may include availability of incentives to recognized and registered tourism units, and concessions from State Government in accordance with the rules made by the State Government in this behalf as also for availability of finance through financial institutions in accordance with their norms and policies.

**CHAPTER- IX***Tourist Assistance Force*

**17. Tourist Assistance Force.**— (1) A special group of personnel known as Tourist Assistance Force shall be engaged, deputed or appointed by the Commissioner on such terms and conditions as may be specified by him from time to time after seeking prior approval of the State Government.

(2) The Tourist Assistance Force shall consist of such specially trained police personnel drawn from Rajasthan State Police or other suitable trained personnel as the State Government may determine and specify.

(3) The Tourist Assistance Force shall discharge such functions as are assigned to it under this Act and such other functions as the State Government may assign to them in accordance with law for the time being in force in the State.

(4) The Officer Incharge of the Department of Tourism at the tourist destination shall deploy the Tourist Assistance Force at various places in the tourist area in consultation with the Deputy Superintendent of Police incharge of that local area. The officers of

these two departments shall ensure that necessary assistance is provided to the tourists and they are protected against harassment. In case of a dispute between the officers of two departments the matter shall be referred to the District Magistrate and whose direction thereon shall be final and binding upon them.

(5) The Officer Incharge of the Department of Tourism having jurisdiction over the local area comprising the tourist area or tourist destination shall have power to give directions to the Tourist Assistance Force personnel if and when such occasion arises and they shall comply with those directions in the matters of functions assigned to them under this Act or the rules or regulations made by the State Government or the Commissioner under this Act.

(6) The Tourist Assistance Force personnel shall keep watch on touts, hawkers, beggars etc. and for enforcing the provisions of this Act, the Tourist Assistance Force personnel shall patrol the tourist areas and timely inform the concerned Police Officer at police station having jurisdiction for initiating appropriate action against the illegal hawkers and touts, beggars etc. and the Station House Officer time being incharge of the police station, shall act in accordance with law to enforce the provisions of this Act and provide help to the Tourist Assistant Force personnel.

(7) The Tourist Assistance Force personnel shall wear name tag and such uniform and insignia and other accessories as may be determined by the State Government and shall carry a photo identity card duly displayed on their person.

**18. Framing of regulations for regulating the functions assigned to the Tourist Assistance Force.**— Subject to the prior approval of the State Government, the Commissioner may frame regulations, not inconsistent with the provisions of this Act or any other law for the time being in force for regulating the Tourist Assistance Force.

**CHAPTER-X***Heritage tourism*

**19. Formulation of policy on heritage tourism.**— (1) The State Government shall formulate policy on heritage tourism incorporating therein package of special concessions and incentives for heritage hotels, other heritage sites and heritage villages and provide general guidelines for development as also for facilitation and regulation thereof, and make it public in the form of booklets and afford wide publicity through media.

(2) Such policy may be revised by the State Government from time to time to pave the way for proper and timely growth of heritage tourism.

**20. Guidelines for maintenance of good hygienic conditions at heritage sites.**— (1) The State Government besides formulating policy on heritage tourism under section 19 shall have powers to issue special or general directions, from time to time, with regard to manner in which the liquid or solid waste, if any, generated by hotels, restaurants, kiosks, tea shops or stalls etc. near the heritage sites shall be disposed off.

(2) All activities pertaining to displaying of advertisements, erection of display hoardings etc. near the heritage precincts or sites shall be regulated by the rules or regulations framed by the State Government or the concerned local authorities.

(3) Whoever contravenes the directions given under sub-section (1) shall be liable to be imposed with a fine not exceeding rupees five thousand by the prescribed authority:

Provided that before imposition of fine, the prescribed authority shall hold enquiry and afford opportunity of hearing to the person concerned before passing orders for imposition of fine.

(4) Whoever further contravenes the directions issued under sub-section (1) even after imposition of fine or fines under sub-section (3), shall, on conviction, be punished with simple

imprisonment for a term which may extend to three months or with a fine which may extend to rupees twenty five thousand or with both.

(5) The contravention of provisions of sub-section (2) shall be dealt with by the concerned local authorities in accordance with law for the time being in force in the local area comprising the heritage sites or precincts.

## CHAPTER – XI

### *Public- private participation in the tourism industry*

**21. Public-private participation in the tourism industry.**– (1) Efforts shall be made by the Department of Tourism for inviting and effecting collaboration with private entrepreneurs in respect of those units of public sector undertakings which can give better results by such a measure.

(2) New viable projects or units servicing the tourism sector may be floated so as to attract private participation.

(3) Incentives may be offered to the entrepreneurs so as to generate feeling of assurance of viability and profitability in the trade.

## CHAPTER-XII

### *Miscellaneous*

**22. Punishment for false display of recognition.**– (1) Any service provider, who is not recognized and registered under and in accordance with the provisions of this Act, falsely represents that he is recognized and registered by the Department of Tourism or the State Government as a service provider for specific services, the prescribed authority shall have power to impose a penalty of, not exceeding rupees ten thousand for the first such offence, and not exceeding rupees one lakh for second or subsequent offence:

Provided that before ordering imposition of penalty, the prescribed authority shall afford reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) An appeal against the order of the prescribed authority may be preferred by any aggrieved person within thirty days from the date of order, before the appellate authority and the order of the appellate authority shall be subject to review by the State Government.

(3) Where any service provider, even after imposition of penalty under sub-section (1), continues to display or show that he is recognized or registered as such by the Department of Tourism or the State Government, he shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two months or with fine or with both.

**23. Punishment for malpractice or other contravention.**— Whoever commits any malpractices in a tourist area or contravenes any of the provisions of this Act for which no specific penalty has been provided under this Act, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.

**24. Punishment for persistent contravention, violation or default.**— Any person who commits further contravention, violation or default of any of the provisions of this Act even after the imposition of penalties and infliction of punishment specified under this Chapter shall, on conviction, be sentenced to such term of simple imprisonment which may extend to three months.

**25. Protection of action taken in good faith.**— No suit, prosecution or other legal proceeding whatsoever shall lie against the State Government, or any functionary of the State Government or the Tourist Assistance Force personnel exercising powers under this Act or any person in respect of anything which is in good faith done or intended to done under this Act, or the rules, regulations or scheme made or framed thereunder.



**26. Cognizance of offences by courts.**— No court shall take cognizance of any offence punishable under Chapters II, IV, V, VII, X and XII of this Act save on the complaint made by or under the authority of the State Government or the prescribed authority.

**27. Offences by companies.**— (1) Where any contravention of any of the provisions of this Act is made by a company, every person who, at the time when the contravention was made, was incharge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**Explanation.**—For the purposes of this section,-

- (a) "company" means, any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

**28. Powers of the prescribed authority to summon and enforce attendance of witnesses and other persons.**— (1) The prescribed authority shall have all the powers which are vested in a

civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-

- (i) summoning and enforcing attendance of a person against whom inquiry is to be conducted and witnesses required in connection therewith;
- (ii) compelling the production of any document; and
- (iii) examining witnesses on oath.

(2) In addition to that which is provided under sub-section (1), the prescribed authority shall have power to summon or examine *suo motu* any person whose evidence in his opinion appear to be material for reaching at a just conclusion in any matter being inquired into by him.

(3) For the purpose of enforcing the attendance of witnesses and other persons referred above, the local limits of jurisdiction of the prescribed authority shall extend to whole of the State.

**29. Act to over ride other laws.**— Save as otherwise provided under this Act, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan law for the time being in force or any custom or usage or instrument having effect by virtue of any such law.

**30. Power to remove difficulties.**— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removal of difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

**31. Power to make rules.**— (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or resolves that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**32. Repeal and savings.**— As from the commencement of this Act,-

- (i) any rules, orders and schemes made or framed in exercise of the executive power by the State Government which are inconsistent with the provisions of this Act, save as expressly provided in this Act, shall stand repealed and on such repeal, provisions of section 6 of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply as if the rules, orders and schemes so repealed were provisions of a Rajasthan Act;
- (ii) all rules, orders, schemes made or framed in exercise of the executive power by the State Government on the subject matter covered by this Act and in force immediately before the commencement of this Act which are consistent with the provisions of this Act, shall be deemed to have been made or framed under and in accordance with the provisions of this Act, until they are superseded by any new rules, orders or schemes made or framed under this Act.

**SCHEDULE**

(See sub-section (7) of section 4)

<b>Categories of service providers</b>	<b>Amount of penalty which may be imposed for non-adherence to standard</b>
1. Hotel (a) having up to 40 rooms	Rupees 10,000/-
(b) having more than 40 rooms	Rupees 20,000/-
2. Motel	Rupees 10,000/-
3. Heritage Hotel (a) basic	Rupees 10,000/-
(b) classic and grant	Rupees 20,000/-
4. Tour operator or Travel Agency	Rupees 20,000/-
5. Excursion Agent or Elephant, Horse, Camel Safari Operator	Rupees 15,000/-
6. Restaurant or Cafeteria	Rupees 5,000/-
7. Handicraft Emporia	Rupees 25,000/-
8. Tourist Village Operator	Rupees 10,000/-
9. Ropeway Service Provider	Rupees 25,000/-
10. Amusement Park Operator	Rupees 25,000/-
11. (a) Government of India approved Guide	Rupees 10,000/-
(b) State Level Guide	Rupees 5,000/-
(c) Local Level Guide	Rupees 5,000/-
12. Any other service providers	Rupees 5,000/-

**Note :- The above penalty is for first offence. For second offence the amount of penalty shall be doubled. For other subsequent offence the licences of operation shall be forfeited .**

एस. एस. कोठारी,

**Principal Secretary to the Government.**